बिहार विधान सभा वादवृत्त

(सरकारी प्रतिवेदन)

मंगलवार, तिथि १७ जुलाई, १९७३

(भाग—१—कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

विषय-सूची ।

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या : ६, ११, ५४ एवं ५५ । ... १—११

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : ८९, ४९६-४९७, ५१२, ५१५, ५१७, ५२०-५२१ । १२—३३

परिशिष्ट (प्रश्नोत्तर के लिखित उत्तर) ... ... ३४—६७

दैनिक निबन्ध ६९

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

उपलब्ध अभिलेखों से यह भी मालूम पड़ता है कि अबतक किसी अभ्यर्थी ने शिक्षक संतान होने के कारण प्राथमिकता दी जाने का दावा नहीं किया गया है। इसलिये प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त शिक्षक-संतान की संख्या, नाम और पता बताने का प्रश्न नहीं उठता।

परिषद का गठन।

५३७। श्री सुनील मुखर्जी—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(१) क्या यह बात बात सही है कि राज्य सरकार और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बीच अक्टूबर, १९७२ में हुए समझौता के मुताबिक स्टेचुरटी माध्यमिक शिक्षा परिषद स्थापित किया जाने वाला था;

(२) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो स्टेचुरटी माध्यमिक शिक्षक परिषद के गठन में हो रहे विलम्ब के क्या कारण है, तथा इसका गठन कबतक किया जायगा ?

श्री विद्याकर कवि—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

समिति का चुनाव।

५३८। श्री सुरजदेव सिंह, श्री मोहन राम, श्री रंग बहादुर सिंह, श्री महेश्वरी प्रसाद सिंह एवं श्री रामस्वरुप सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि —

(१) क्या यह बात सही है कि कि औरंगाबाद जिला का मुरुआ उच्च विद्यालय की उत्तम व्यवस्था के लिये सचिव, माध्यमिक शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना ने जब से पत्रांक-८००-६ दिनांक २३-१-१९६७ द्वारा सरकारी पदाधिकारियों की तदर्थ समिति बनायी है तब से कभी भी समय पर वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, और आज भी उक्त विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन छः महीने का नहीं मिला है ;

(२) क्या यह बात सही है कि प्रबन्ध कारिणी समिति के नियमानुसार पुनर्गठन की प्रक्रिया के क्रम में दानदाता सदस्यों का दिनांक २५-६-७० के चुनाव के बाद आगे का चुनाव तीन वर्षों से रोक रखा गया है, यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(३) क्या यह बात सही है कि छः वर्षों से अधिक समय से सरकारी पदाधिकारियों ने विद्यालय का प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर विद्यालय की राशि को मनमाने ढंग से खर्च किया है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उक्त विद्यालय प्रबन्ध कारिणी समिति का चुनाव कबतक कराने तथा उपर्युक्त दोषी व्यक्तियों को कबतक दण्ड देने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विद्याकर कवि—(१) वस्तु स्थिति यह है कि माध्यमिक शिक्षा पर्षद द्वारा इस विद्यालय के लिये तदर्थ समिति का गठन ११-८-६९ को किया गया।

यह सही है कि इस विद्यालय के शिक्षकों को नियमित रुप से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। फरवरी, १९७३ से शिक्षकों के वेतन का भुगतान बाकी है पर केवल प्रधानाध्यापक को अप्रील, १९७३ तक का वेतन का भुगतान किया गया है।

(२) यह सही है कि प्रबन्ध कारणी समिति के नियमानुसार पुनर्गठन की प्रक्रिया के क्रम में दानदाता सदस्यों का चुनाव २५-६-७० को किया गया। ९-९-७० को अभिभावक प्रतिनिधि के चुनाव की तिथि रखी गयी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने उपयुकंत तिथि को बदलने के लिये अनुरोध किया क्योंकि अभिभावकगण रोपण कार्य में व्यस्त थे। तत्पश्चात प्रधानाध्यापक से अभिभावकों की सूची मांगी गयी। स्मार पत्रों के बाद भी जब सूची प्राप्त नहीं हुई तो विद्यालय उप निरीक्षक, शेरघाटी से अनुरोध किया गया कि वे अभिलेख लेकर भेज दें। विद्यालय उप निरीक्षक ने भी अभिलेख उपलब्ध करने में काफी समय लगाया। अभिलेख प्राप्ति के बाद २१-१२-१९७१ को अभिभावक का चुनाव करने के लिये तिथि निश्चित की गयी। पर इस तिथि को पटना में विभागीय कार्रवाई होने के कारण चुनाव नहीं हो सका। पुनः २९-१-७२ को इसके लिये तिथि निश्चित की गयी पर दिनांक २०-१-७२ को राणा सुनेश्वर कुमार सिंह ने एक आवेदन पत्र दिया कि शिक्षक प्रतिनिधि का मनोनयन सही तरीके से नहीं

हुआ है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव के लिये जो तिथि निश्चित की गयी थी उसे स्थगित करना पड़ा। अभी स्थिति यही है।

(३) उत्तर नकारात्मक है। तदर्थ समिति द्वारा मनमाने ढंग से राशि खर्च करने का कोई दृष्टांत नहीं है।

(४) प्रबन्ध कारिणी समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ है। विद्यालय ग्रीष्मावकाश के कारण बन्द था। जो २५-३-७३ को खुला है। चुनाव सम्पन्न कराने की कार्रवाई की जा रही है।

गबन का आरोप।

५४०। **श्री रामबहादुर सिंह**—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—(१)क्या यह बात सही है कि अशोक उच्च विद्यालय दाऊदनगर, गया के सहायक शिक्षक श्री सुन्दरदेव सिंह ने जनवरी, १९७१ से जुलाई,७१ तक दशम वर्ग के छात्रों से मासिक शिक्षा शुल्क लेकर विद्यालय में जमा नहीं कर अपने पास रख लिया है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त उच्च विद्यालय के सचिव श्री कपिलदेव सिंह द्वारा प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, दाऊदनगर को लिखित रूपसे उक्त विषय के सम्बन्ध में जुलाई,७१ में ही सूचना दे दी गयी है;

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त शिक्षक के विरुद्ध विद्यालय कोष को गबन करने के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

श्री विद्याकर कवि—(१) उत्तर नकारात्मक है।

(२) उत्तर नकारात्मक है।

(३) इसका प्रश्न नहीं उठता है।

नयी तदर्थ समिति का गठन।

५४१। **श्री रंगबहादुर सिंह**—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री रामचन्द्र यादव, प्रधानाध्यापक, अरवल